सार्वजनिक निविदा सूचना।

नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न चौराहों पर 13 ट्रैफिक सिग्नल का रख–रखाव तथा इस पर होने वाले व्यय की एवज में इन पर 02 वर्ष के लिये विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक 27.04.2018 की अपरान्ह 2.00 बजे तक सीलबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा के साथ निविदा सूचना प्रपत्र में अंकित निविदा धनराशि की 10 प्रतिशत धनराशि रू0–134729 की सी0डी0आर0 / एफ0डी0आर0 संलग्न करनी अनिवार्य होगी। जो नगर आयुक्त नगर निगम, देहरादून के नाम प्लेज होगी। निविदायें सीलबन्द लिफाफे में पंजीकृत डाक / स्वंय के द्वारा उपलब्ध करायी जानी होगी। निर्धारित समय के उपरान्त प्राप्त निविदा पर विचार नही किया जायेगा। निविदायें दिनांक 27.04.2018 को सायः 4..00 बजे गठित निविदा समिति के समक्ष खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र एवं शर्ते विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से किसी भी कार्यदिवस में दिनांक 25.04.2018 की सांय 05.00 बजे तक नगर निगम कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। निविदा सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण नगर निगम की वेबसाईट www.naggarnigamdehradun.com पर भी उपलब्ध है।

नगर आयुक्त,
नगर निगम, देहरादून

नगर आयुक्त,
नगर निगम, देहरादून

कार्यालय नगर निगम, देहरादून।

पत्रांकः–3457 / भूमि–2018, दिनांकः– 11/04/18

प्रतिलिपिः–

1. सम्पादक "दैनिक समाचार पत्र उत्तराखण्ड संस्करण" को इस आशय से प्रेषित कि वह उपरोक्त निविदा सूचना का प्रकाशन आगामी अंक में कराते हुए समाचार पत्र की दो प्रतियां निशुल्क इस कार्यालय को प्रेषित करायें एवं बिल भुगतान हेतु प्रेषित करें।
2. सम्पदाक "द पायनियर उत्तराखण्ड+NCR" अंग्रेजी समाचार पत्र को इस आशय से प्रेषित कि वह उपरोक्त निविदा सूचना का प्रकाशन आगामी अंक में कराते हुए समाचार पत्र की दो प्रतियां निशुल्क इस कार्यालय को प्रेषित करायें एवं बिल भुगतान हेतु प्रेषित करें।
3. श्री मनीष पन्त आई0टी0 आफीसर को इस निर्देश के साथ कि उक्त निविदा सूचना को नगर निगम की वेबसाईट पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. नोटिस बोर्ड नगर निगम / कलैक्ट्रेट पर चस्पा हेतु।
5. कार्यालय प्रति।

नगर आयुक्त,
नगर निगम, देहरादून।
11/4/18

Scanned by CamScanner

निविदा फार्म का मूल्य रू0–10000–जी0एस0टी0–1800 कुल–11,800/–

कार्यालय नगर निगम, देहरादून।

(फो0- 0135-2714024 फैक्स 0135-2651060 ई-मेल- nagarnigam.ddn@gmail.com)

ट्रैफिक लाईट मेन्टीनेंस निविदा सूचना प्रपत्र

1. निविदा दाता का नाम :–..

2. निविदादाता का पता :–..

....

....

3. निविदादाता की विज्ञापन एजेन्सी का नाम :– ....

4. जमानत धनराशि :– रू0 ....(शब्दों में) ....

5. एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 नं0 :– ....

6. बैंक का नाम :–..

7. ट्रैफिक सिग्नल हेतु चिन्हित स्थल:– (1) सेन्ट ज्यूड चौक (2) जी0एम0एस0 एक्सटेंशन शिमला बाईपास (3) कारगी चौक हरिद्वार बाईपास मार्ग (4) धर्मपुर चौक (5) द्वारिका स्टोर (6) सहस्त्रधारा क्रासिंग चौक (7) तहसील चौक (8) दर्शन लाल चौक (9) बल्लूपुर (10) कौलागढ़ चौक (11) यमुना कालोनी चौक (12) बसन्त विहार एफ0आर0आई0 चौक चकराता रोड (13) बुद्धा पार्क चौक।

8. कुल सिग्नलों की सं0–13 ट्रैफिक सिग्नल।

7. निविदादाता द्वारा भरी जाने वाली निविदा राशि अंकों में :– रू0 ....

(शब्दों में) ....

निविदादाता दाता के हस्ताक्षर :–..

निविदादाता का नाम :–..

निविदादाता का पूरा पता :– ....

निविदा की शर्ते एवं प्राविधान

1. स्वीकृति दिनांक माह 01.05.2018 से दिनांक 30.04.2020 तक के लिये मान्य।
2. नगर निगम द्वारा निविदा हेतु न्यूनतम् आरक्षित धनराशि रू0–1347885/– प्रतिवर्ष निर्धारित है।
3. निविदादाता को निविदा में प्रतिभाग करते समय आयकर क्लीयरेन्स सर्टिफिकेट, सर्विस टैक्स नं0, पैनकार्ड, फर्म का रजिस्ट्रेशन नं0, आदि प्रमाण पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
4. विज्ञापन फर्म को स्वीकृत निविदा धनराशि की 2 प्रतिशत धनराशि के स्टॉम्प पेपर पर अनुबन्ध गठित करना अनिवार्य होगा।
5. यातायात एवं जनसुविधा हेतु यदि नगर निगम अथवा जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने पर एजेन्सी को कोई क्षति होती है तो नगर निगम द्वारा कोई क्षतिपूर्ति देय नही होगी।
6. धरोहर/जमा धनराशि नगर आयुक्त नगर निगम के नाम प्लेज करनी अनिवार्य होगी।
7. निविदादाता द्वारा अपने रेट स्पष्ट रूप से शब्दों एवं अंको में लिखें जायेंगे व कटिंग होने की दशा में अपने हस्ताक्षर करने अनिवार्य होंगे।
8. निविदा स्वीकृति की धनराशि पर प्रति वर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

Scanned by CamScanner

9. ट्रैफिक लाईटों के रख–रखाव व मरम्मत आदि का कार्य निविदादाता को स्वंय के व्यय पर करना होगा।
10. ट्रैफिक लाईट के रख–रखाव हेतु फर्म को अपने स्तर से एक इलैक्ट्रिकल इंजीनियर की तैनाती करनी अनिवार्य होगी।
11. किसी भी चौक का ट्रैफिक सिग्नल खराब होने की दशा में यातायात पुलिस द्वारा फर्म को सूचना दिये जाने के उपरान्त 3 घन्टे के अन्दर उक्त सिग्नल को ठीक करना अनिवार्य होगा।
12. प्रत्येक सिग्नल पर सुचारू रूप से कन्ट्रोल पैनल, सोलर बैकअप काउन्टडाउन टाईमर तथा बैटरी की निरन्तर जांच करनी होगी।
13. प्रत्येक वर्ष ट्रैफिक सिग्नल के पोल पर रंगाई पुताई स्वंय के व्यय पर करनी होगी तथा पोल जंग रहित मजबूत होना चाहिये।
14. निर्धारित तिथि व समय के उपरान्त प्राप्त निविदाओं पर विचार नही किया जायेगा।
15. निविदादाता द्वारा निविदा स्वीकृत होने पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष की स्वीकृत निविदा धनराशि की 50 प्रतिशत धनराशि 03 दिन के अन्दर तथा अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि 06 माह के अन्दर निगम कोष में जमा करानी अनिवार्य होगी। निर्धारित तिथि के अन्दर धनराशि जमा न करने की दशा में 18 प्रतिशत ब्याज पृथक से देय होगा।
16. नगर निगम के डिफाल्टर व बकायेदार व उसके सगे सम्बन्धी निविदा में भाग लेने के पात्र नही होंगे।
11. निविदा डाक के माध्यम से निर्धारित तिथि एवं समय तक भेजी जा सकती है।
12. निविदा के साथ रू0 **1,34,789**/– की धनराशि की सी0डी0आर0/एफ0डी0आर0 संलग्न करनी अनिवार्य है।
13. ट्रैफिक सिग्नल पर विज्ञापन हेतु 3.5 **X** 2.5 फिट साईज के ही विज्ञापन लगाये जायेंगे।
14. ट्रैफिक सिग्नल चिन्हित क्षेत्र/लम्बाई में ही लगाये जायेंगे। स्वीकृत स्थलों के अतिरिक्त अन्य स्थलों पर ट्रैफिक सिग्नल नही लगाये जायेंगे।
15. सरकार द्वारा प्रतिबन्धित उत्पादों जैसे शराब, तम्बाकू सिगरेट आदि के विज्ञापन एवं अश्लील विज्ञापन प्रकाशित एवं प्रदर्शित नही किये जायेंगे। यदि फर्म द्वारा उक्त का उल्लंघन किया जाता है कि तो रू0 25000/– क्योस्क की दर से प्रति क्योस्क अर्थदण्ड वसूल किया जायेगा।
20. ट्रैफिक सिग्नल पर बिजली के कनेक्शन की व्यवस्था एजेन्सी द्वारा स्वंय के व्यय पर ही की जायेगी। निविदादाता द्वारा ट्रैफिक सिग्नल पर अलग से अपना मीटर लगाना होगा व विद्युत बिलों का भुगतान भी स्वंय के व्यय पर करना होगा।
21 भविष्य में यातायात एवं सौन्दर्यीकरण की दृष्टि से कोई विज्ञापन हटाने की आवश्यकता होती है तो सम्बन्धित एजेन्सी द्वारा 24 घन्टें के अन्दर हटाना होगा।
22. किसी भी विवाद की स्थिति में नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून का निर्णय अन्तिम होगा।
23. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून में निहित होगा।
24. किसी भी वाद के लिये क्षेत्राधिकार जिला देहरादून के जिला न्यायालय/न्यायालयों को होगा।
25. निविदादाता द्वारा दिनांक 01.05.2018 से 30.04.2020 तक ट्रैफिक सिग्नल सम्बन्धी कार्य सुचारू रूप से पूर्ण करने के उपरान्त जमानत की धनराशि वापस की जायेगी।

Scanned by CamScanner

26. सम्बन्धित फर्म को समय–समय पर जारी नगर निगम/जिला प्रशासन के आदेशों का अनुपालन करना होगा।

27. ट्रैफिक सिग्नल सड़क से 90 डिग्री के कोण पर होंगे तथा यातायात के दौरान स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे।

28. ट्रैफिक सिग्नल पर नगर निगम द्वारा स्वीकृत लिखा जाना अनिवार्य होगा। सम्बन्धित फर्म द्वारा केवल ट्रैफिक सिग्नल पर ही विज्ञापन प्रदर्शित किया जायेगा। अन्य माध्यमों से विज्ञापन प्रचार–प्रसार हेतु नगर निगम द्वारा पृथक से कार्यवाही की जायेगी।

29. उपरोक्त ट्रैफिक सिग्नल पर कार्य करने हेतु लगे व्यक्तियों, श्रमिकों अथवा कर्मियों का नियमानुसार ई0पी0एफ0, सेवाकर, बीमा तथा सुरक्षा उपकरणों आदि की व्यवस्था भी फर्म को स्वंय करनी होगी।

32. कोई भी निविदादाता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई सिन्डीकेट (Syndicate) या कार्टेल (Cartel) या पूर्व से रजिस्टर्ड ग्रुप बनाकर निविदा की प्रक्रिया को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने का प्रयास नही करेगा, यदि ऐसा कोई तथ्य बाद में प्रकाश में आता है तो उसकी निविदा बिना किसी नोटिस के निरस्त की जा सकेगी तथा उसे ब्लैक लिस्ट किया जा सकेगा।

33. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन पर स्वीकृति बिना किसी नोटिस के निरस्त कर दी जायेगी एवं धरोहर के रूप में जमा सी0डी0आर0/एफ0डी0आर0 जब्त कर ली जायेगी।

कर अधीक्षक, भूमि
नगर निगम, देहरादून।

Scanned by CamScanner